14/5/19

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्षान
वकील प्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश
किया। जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र
के तथ्यों को आधारहीन रूप से इन्कार करते
हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन
किया है।

बहस प्रार्थना पत्र 212 [illegible] पर
सुनी गयी। वकील प्रार्थी द्वारा, प्रार्थी
बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते
हुए विवादित जमीन पर 144 की कार्यवाही
उपरान्त पूर्व की स्थिति जो बहाल की गयी
है उस पर रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति
बनाये रखने के आदेश जारी करने हेतु
निवेदन किया। वकील अप्रार्थी द्वारा इस
पर आपत्ति की तथा पूरी विवादित जमीन
पर पूर्व की स्थिति बहाल न होने की बात
कहते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने
बाबत निवेदन किया।

हमने पत्रावली पर का अवलोकन
किया तथा बहस उभय पक्ष अभिभाषकगण
पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड
नकल जमाबन्दी खाता सं 400 ग्राम महुवार
नं.1 सं 2070-73 के अनुसार उक्त खातों पर
पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने का उल्लेख
हो रहा है। दौराने दावा यदि इसमें कोई विक्रय
अथवा अन्य प्रकार से अन्तरण होता है तो
यह न्याय के हित उचित नहीं होगा तथा
अनावश्यक वादकरण को बढ़ावा इससे
मिलेगा। इसलिए हम दौराने दावा उक्त भूमि
पर यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश जारी
करना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि उभयपक्षकारान
को अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल वाद के
निस्तारण तक के लिए पाबन्द किया जाता
है कि वे विवादित आराजी ख.नं. 2279, 2280,
2281, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294 एवं
ख.नं. 2283 कुल किता 9 रकबा ग्राम महुवार
नं.1 तहसील राजाखेड़ा पर रिकार्ड एवं मौके
की यथा स्थिति बनाये रखें। परवाना वास्ते
तामील तहसीलदार राजाखेड़ा को जारी हो।
पत्रावली के शामिल मूल [illegible] शामिल रिकार्ड हो।
इतला मूल दावे रहे।